भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-3111
सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

कर्मचारियों और नियोजकों का अंशदान

3111. श्री वी.के. श्रीकंदनः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने एक योजना को मंजूरी दी है जिसके द्वारा अक्तूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक काम पर रखे गए नए कामगारों हेतु कर्मचारियों और नियोजकों दोनों का अंशदान का भुगतान दो वर्षों तक सरकार द्वारा किया जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि यह योजना उन व्यक्तियों पर लागू होगी जो प्रति माह 15000 रुपए से कम कमाते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह भी सच है कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देगी;और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ङ): आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु प्रारंभ की गई है।

इस योजना के तहत;

- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला वह कर्मचारी, जो 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) से पंजीकृत किसी प्रतिष्ठान में कार्य नहीं कर रहा था एवं उसके पास 1 अक्तूबर, 2020 से पूर्व सार्वभौमिक लेखा संख्या अथवा ईपीएफ सदस्य संख्या नहीं थी, लाभ हेतु पात्र होगा।
- 15,000/- रु. से कम मासिक वेतन पाने वाला सार्वभौमिक लेखा संख्या (यूएएन) धारक ईपीएफ का कोई भी सदस्य, जो 01.03.2020 से 30.09.2020 तक कोविड महामारी के दौरान रोजगार से निकाल दिया गया तथा 30.09.2020 तक ईपीएफ से कवर किए गए किसी प्रतिष्ठान में रोजगार में नियुक्त नहीं हुआ, वह भी लाभ लेने हेतु पात्र होगा।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की कर्मचारी संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है। यह योजना 1 अक्टूबर 2020 से शुरू की गई है और पात्र नियोक्ताओं और नए कर्मचारियों के पंजीकरण के लिए 30 जून 2021 तक चालू रहेगी। सरकार पंजीकरण की तारीख से दो साल के लिए सब्सिडी का भुगतान करेगी।

*****